कृषक हितैषी योजनाएँ

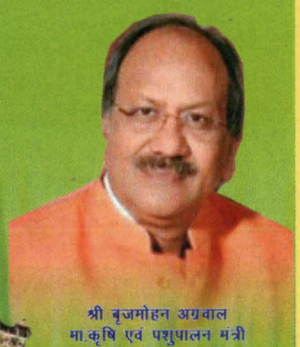

छत्तीसगढ़ कामधेनू विश्वविद्यालय
कृषि विज्ञान केन्द्र अंजोरा, दुर्ग

संकलन एवं संपादन

डॉ. धीरेन्द्र भोंसले
डॉ. एस.के. थापक
श्री उमेश कुमार पटेल
श्री आर.एल. साहू
डॉ अमित कुमार गुप्ता
डॉ. ओ.पी. दिनानी

कृषि विभाग की
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित कृषक कल्याणकारी योजनाएं

1. सुनिश्चित सिंचाई विस्तार योजना (राज्य पोषित)

(अ) किसान समृद्धि योजना–

पात्रता : नलकूप खनन हेतु प्रस्तावित स्थल क्षेत्र का रकबा 1 0 हेक्टर हो। 300 मीटर की परिधि में अन्य कोई नलकूप/हैण्ड पंप न हो।

नलकूप पर अनुदान : अजा/अजजा कृषकों को खनन हेतु 18000/– तक अनुदान एवं सामान्य कृषकों को 10,000/– तक अनुदान।

पंप अतिष्ठापन पर अनुदान : अजा/अजजा कृषकों को 25000/– तक एवं सामान्य कृषकों 15000/–तक अनुदान

कूप एवं खनित नलकूप पुनर्भरण (रिचार्जिंग) करने वाले कृषकों को 5000/– शासकीय अनुदान के रूप में देय है।

(ब) शाकम्भरी योजना–

पात्रता : लघु सीमांत श्रेणी के कृषकों, जिनके पास सिंचाई स्त्रोत है, 5 एचपी तक के सिंचाई पंप पर अनुदान लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रू 16875/– देय है। कूप खनन पर अनुदान कूप का व्यास 6 मीटर एवं 12 मीटर एवं 12 मीटर गहराई वाले कूप निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 25200/– देय है।

(स) माइक्रोइरीगेशन (सूक्ष्म सिंचाई योजना)–

पात्रता : सुनिश्चित सिंचाई सुविधा वाले सभी कृषक ।
लघु सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान देय।
बड़े कृषको को इकाई लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान देय।

(द) लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना–

शासकीय घास भूमि में तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये जाने पर 100 एकड़ तक सिंचाई क्षमता के तालाबों का निर्माण।
पंचायत प्रस्ताव आवश्यक,शासन द्वारा शत्–प्रतिशत व्यय वहन।
क्रियान्वयन एजेंसी–सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी।

2 **राज्य गन्ना विकास योजना–**

बीज क्रय पर अनुदान : अधिकतम 5000 रू प्रति हेक्टर अथवा 50 प्रतिशत जो भी कम हो, अनुदान देय होगा।
गन्ना टिशू कल्चर : अधिकतम 5 रू प्रति पोध अथवा 50 प्रतिशत जो भी

कम हो, 1 हेक्टर के लिए । बीजोपचार औषधि अधिकतम रू 100/– प्रति हेक्टर अथवा 50 प्रतिशत जो कम हो, अधिकतम 2 हेक्टर प्रति कृषक के लिए।

पौध संरक्षण यंत्र : (अ) हस्तचलित 800 रू या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। (ब) शक्ति चलित– 2000रू या 50 प्रतिशत जो भी कम हो।

गन्ना बीज परिवहन राज्य के बाहर वास्तविक परिवहन व्यय का 50: प्रतिशत अथवा अधिकतम 1200 रू प्रति टन तथा राज्य के अंदर परिवहन पर प्रथम 10 किमी बाद 10 रू प्रति किमी/टन अधिकतम 800 रू प्रति टन अनुदान का प्रावधान है।

3 **कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजना–**

	लघु सीमांत/अजजा/अज	अन्य
पावर टिलर	50% अधिकतम 75000/–	40%अधिकतम 60000/
पैडी ट्रांसप्लांटर	(4–8से) 40% अधिकतम 200000/–40% अधिकतम 200000/	
स्वचलित रीपर कम बाईडर 50/	अधिकतम 1125000/–40%अधिकतम 100000/	
रोटावेटर, मोल्डबोर्ड,प्लाऊ	बीएचपी के आधार पर	बीएचपी के आधार पर
	अधिकतम 115000/–से 63000/–	अधिकतम 115000/–से 63000/–
रीपर	50% अधिकतम 63000/–	40% अधिकतम 50000/–
थ्रेसर	50%अधिकतम सीमा 63000/–	40%अधिकतम सीमा 50000/–
हस्त/बैल चलित यंत्र	600 से 10000/–	500 से 800/–
पवर विडर(पी टी ओ	50% अधिकतम 6300/–	40%अधिकतम 50000/–

4 **राज्य पोषित योजनाएं–**

(अ) कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना

पात्रता : सभी वर्ग के कृषक।

एकल अथवा समूह मे दो या तीन ट्रेक्टर के साथ जमीन की तैयारी, बोनी, कटाई एवं थ्रेसिंग हेतु।

कम से कम रू 25 00 लाख की मशीन क्रय करने पर रू 10 00 लाख अनुदान केडिट लिक्विड बैंक इंडेड सब्सिडी देय।

कम से कम रू 15 00 लाख की मशीन क्रय करने र 50% अथवा रू 7 00 लाख अनुदान केडिट लिक्वड बैंक इंडेड सब्सिडी देय।

(ब) श्री विधि से धान उत्पादकता वर्धन की योजना–

पात्रता : 5 वर्ष में एक बार।

प्रति हेक्टर 33500/रू एक कृषक को अधिकतम 0 40 हेक्टर तक अनुदान देय।

(स) द्विफसलीय खेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन

पाात्रता : सभी वर्ग के कृषक, 0 1हे एवं अधिकतम 2 हे तक

चना/मटर/मसूर/गेहूं–अधिकतम 5000/–प्रति हे अनुदान देय है।

सरसों/सूरजमुखी–अधिकतम 4000/–प्रति हे अनुदान देय है।

अलसी/अरण्डी/कुसुम/तिवड़ा (उन्नत किस्म) अधिकतम 3000/– प्रति हे अनुदान देय है।

(द) धान में समन्वित पोषक तत्व उपयोग को बढ़ावा देने फसलों का प्रदर्शन

पाात्रता : कृषक जिनके पास स्वयं का सिंचाई साधन है।

समन्वित पोषक तत्व उपयोग पर 1700/– प्रति एकड़ अनुदान देय है।

एक कृषक को अधिकतम 0 40 हेक्टर में प्रदर्शन हेतु अनुदान देय है।

(इ) ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन,तिलहन,मक्का,फसल को प्रोत्साहन योजना–

प्रथम आवे– प्रथम पावे के आधार पर प्रति एकड़ (0 4हे) के लिये रू 2000/– के मान से अधिकतम2 हे के लिये 10000/– अथवा वास्तविक लागत जो भी कम है, अनुदान देय है। पहली बार ग्रीष्मकालीन दलहन,तिलहन,मक्का बोने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी। इच्छुक कृषक 15 नवम्बर तक क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आवेदन कर सकते है।

(द) मिट्टी परीक्षण : कृषकों के खेतों के मिट्टी नमूने की जांच (नत्रजन,स्फूर एवं पोटाश तत्व), हेतु 2 रू एवं सूक्ष्म तत्व (जिंक, कॉपर आदि) हेतु 25 रू प्रति प्रति नमूना शुल्क दे य है। दुर्ग जिले का मिट्टी नमूना परीक्षण जिलें में स्थित प्रयोगशाला में किया जाता है।

5 **कृषि उद्यम को प्रोत्साहन पर अनुदान की योजना–** कंपनी को बैंक ऋण पर 4% दर से ब्याज अनुदान राशि रू 1 00 करोड़ तक की ऋण राशि पर 4% की दर से ब्याज अनुदान राशि रू 4 00 लाख सीमित होगी। कंपनी, ऐसे किसी समूह द्वारा निर्मित हो जो कृषि या अकृषि कार्य करते है।

हितग्राही : उत्पादक कंपनियों की उद्योग लगाने हेतु निवेष करने पर बैंक ऋण पर छूट दी जावेगी। कृषि स्नातक अथवा कृषि इंजीनियरिंग सदस्यों वाले समूहों को प्राथमिकता।

अनुदान की पात्रता : कृषक उत्पादन कंपनियों जो कृषि यंत्र उत्पादन/निर्माण/उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण ईकाई हेतु बैंक ऋण लेकर उद्योग स्थापित करेंगे, उन्हें ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

6 **कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन योजना–**

मजदूरों के समूह की क्षमता बढ़ाने एवं कृषि कार्य को सरल एवं श्रम साध्य बनाने हे
कृषि औजार यंत्र एवं उपकरण के कीट का निःशुल्क वितरण जिसमें सीड कम
फर्टिलाईजर ड्रिल –02, मार्कर–02,अंबिका पैडी विडर/रोटरी विडर–10,साइकि
व्हील हो–10, सीड ट्रिंटिग ड्रम–1, उन्नत काटेदार हसिया–10,हैण्ड/फूट स्प्रेयर–3,पा
स्प्रेयर–1 डोरा–2, मक्का छिलक यंत्र–10 एवं फर्टिलाईजर, ब्राडकास्ट–2, कृषि
मजदूर समहों को 42000 रू तक के उपकरण प्रदान किये जाएंगे।

प्रशिक्षण : प्रत्येक चयनित समूह को कृषि यंत्र एवं उपकरण के उपयोग रख–रखाव एवं उपय
जावेगा। प्रशिक्षण राशि रू 1500 प्रति दिवस के दर से दो दिवस हेतु राशि रू 30
प्रति प्रशिक्षण देय होगा

7 **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना हरित कांति विस्तार योजना**

(अ) नलकूप खनन अनुदान–

समस्त वर्ग के कृषक नलकूप में अधिकतम 30000/– अनुदान देय।

(ब) शैलो टयूबवेल खनन अनुदान–

समस्त वर्ग के कृषक को अधिकतम 20000/– अनुदान देय।

(स) हरित कांति विस्तार योजना धान प्रदर्शन

(1) वर्षा आधारित उच्चहन/निच्चहन भूमि में धान प्रदर्शन

पात्रता– चयनित 100 हेक्टर के कलस्टर में आने वाले समस्त कृषक

अनुदान–प्रति हेक्टर अधिकतम	7500/–रू
गहरी जुताई एवं भूमि की तैयारी हेतु	1000/–रू
कतार बोनी/रोपाई हेतु	600/–रू
बीज हेतु (10वर्ष के भीतर की किस्म)	1200/–रू
सूक्ष्म तत्व/जैव उर्वरक हेतु	1800/–रू
नींदा नियंत्रण हेतु	1200/–रू
पौध संरक्षण हेतु	900/–रू
अन्य	800/–रू

2 **सिंचित प्रचलित धान किस्म का प्रदर्शन**

पात्रता : चयनित 100 हेक्टेयर के कलस्टर में आने वाले समस्त कृषक

अनुदान– प्रति हेक्टेयर अधिकतम	7,500/–रू
गहरी जुताई एवं भूमि की तैयारी हेतु	1500/–रू
10 वर्षो के भीतर की प्रमाणित बीज हेतु	800/–रू
कतार बोनी/रोपाई हेतु	1000/–रू

सूक्ष्म तत्व/जैव उर्वरक हेतु	1850/–रू
नींदा नियंत्रण हेतु	600/–रू
पौध संरक्षण हेतु	960/–रू
अन्य	800/–रू

(3) सिंचित संकर धान किस्म का प्रदर्शन

पात्रता – चयनित 100 हेक्टेयर के कलस्टर में आने वाले समस्त कृषक

अनुदान–प्रति हेक्टेयर अधिकतम	7500/–रू
गहरी जुताई एवं भूमि की तैयारी हेतु	500/–रू
बीज हेतु (10वर्षके भीतर की किस्म)	3750/–रू
कतार बोनी/रोपाई हेतु	500/–रू
सूक्ष्म तत्व/जैव उर्वरक हेतु	650/–रू
नींदा नियंत्रण हेतु	600/–रू
पौध संरक्षण हेतु	700/–रू
अन्य	800/–रू

(द) यांत्रिकीकरण

सीडड्रील	15000/–रू
रोटावेटर	35000/–रू
पैडीट्रांसप्लांटर	750000/–रू
स्प्रेयर	600/–रू
पावर स्प्रेयर	3000/–रू
पावर विडर	15000/–रू
थ्रेसर	400000/–रू

8 **योजना का नाम– नेशनल मिशन ऑन ऑइल सीड एंण्ड ऑइल पाम**

तिनलहनी एवं ऑइल पाम फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को अनुदान निम्नानुसार देय है–

1 प्रमाणित बीज उत्पादन (बीज ग्राम योजना) पर प्रोत्साहन–1000/– प्रति क्विंटल

2 प्रमाणित बीज वितरण पर 50 % या 1200/– प्रति किवंटल अनुदान

3 पौध संरक्षण,दवा,पौध सरंक्षण यंत्र (हस्त चलित,शक्ति चलित) निंदानाशक दवा, राइजोबियम बी ए बी कल्चर बीजोपचार जिप्सम, पाइराइट, सिंचाई पाइप पर कीमत का 50 % अनुदान।

4 कृषक खेत पाठशाला–22680/– प्रति पाठशाला।

9 एक्सटेंशन रिफार्म्स आत्मा योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

क्र	घटक	राशि रू में	अधिकतम प्रावधान
अ	कृषक प्रषिक्षण–	1250/–	50 कृषक दिवस प्रति वि खं
ब	अन्तर्राज्यीय(प्रति कृषक प्रतिदिन)	1000/–	100 कृषक दिवस प्रति वि खं
स	जिले के अंदर (प्रति कृषक प्रतिदिन)	250/–	100 कृषक दिवस प्रति वि खं
2	**प्रदर्शन आयोजन–**		
अ	कृषि विभाग (प्रति 0 4हे)	40000/–	125 प्रदर्शनी प्रति वि ख
ब	उद्यानिकी, पषुपालन,मत्स्यपालन	40000/–	50 प्रदर्शनी प्रति वि ख
3	**कृषक भ्रमण–**		
अ	अन्तर्राज्यीय(प्रति कृषक प्रतिदिन)	800/–	50 कृषक दिवस प्रति वि खं
ब	राज्य के अंदर(प्रति कृषक प्रतिदिन)	400/–	200 कृषक दिवस प्रति वि खं
स	जिले के अंदर (प्रति कृषक प्रतिदिन)	300/–	100 कृषक प्रति वि खं
4	**कृषक समूहों को गतिषील बनाने हेतु–**		
अ	क्षमता का विकास एवं कौशल प्रबंधन	5000/–	20 कृषक समूह प्रति वि खं
ब	सीडमनी/रिवाल्विंग फण्ड	10000/–	20 कृषक समूह प्रति वि खं
स	खाद्य सुरक्षा समूह	10000/–	2महिला कृषक समूह प्रति वि खं
5	पारितोषण एवं प्रेरणा (प्रति समूह)	20000/–	अधिकतम 5 समूह प्रति जिला
6	पुरस्कार कृषक	10000/–	5 कृषक प्रति वि खं
7	कृषक दिवस/संगो ठी	15000/–	2 संगोष्ठी प्रति वि खं
8	कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	20000/–	2 परिचर्चा प्रति जिला
9	फार्म स्कूल	29414/–	3 फार्म स्कूल प्रति वि खं
0	किसान मेला प्रदर्शनी	4 लाख प्रति जिला	

1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन–

प्रमाणित बीज विरण पर 10 वर्ष के अंदर की किस्मों पर 22500/–रू प्रति किवंटल

जिप्सम/यूने का विरण–अधिकतम 750/–प्रति हे एवं 1000/–प्रति हे

सूक्ष्म पोषक तत्व– अधिकतम 500/– प्रति हे

कल्चर वितरण– अधिकतम 100/– प्रति हे

कीटनाशक एवं जैवकीटनाशक दवा–अधिकतम 500/– प्रति हे

स्प्रिंकलर सेट वितरण– 1000/– प्रति हे

पौध संरक्षण यंत्र– कीमत 50 या अधिकतम 600 /–

शक्ति चलित यंत्र जिरोटिल सीड ड्रील मल्टीक्राप प्लांटर कीमत का 50: या 15000/– रोटावेटर कीमत का 50 या 335000/– थ्रेसर कीमत का 50:या अधिकतम 40000/–

लेजर लेवलर कीमत का 50 या अधिकतम 150000/–

डीजल पंप सेट– कीमत का 50 या अधिकतम 10000/–

गोदाम निर्माण हेतु अधिकतम 150000/–रू

क्लस्टर प्रदर्षन पर प्रति हे 7500/–

फसल पद्धति आधारित प्रदर्शन पर प्रति हे 12500/–का अनुदान

पात्रता : सभी श्रेणी के कृषकों के लिए।

उद्यानिकी विभाग की

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित कृषक कल्याणकारी राज्य पोषित योजनाएं

अनुदान की पात्रता एवं मापदंडः–

क्रं योजना का नाम शासन द्वारा दी जा रही सुविधायें

1 **फल पौध रोपण योजना** – प्रदेश में आम के क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस योजना के अंतर्गत भू–स्वामी कृषक को आम फलोद्यान रोपण पर प्रति हेक्टेयर लागत राशि रू 43750/– पर 225 प्रतिशत अनुदान राशि रू 10938/–पांच वर्षो में देने का प्रावधान है, जिमें प्रति कृषक न्यूनतम 0 25 हे एवं अधिकतम 2 हे तक अनुदान दने का प्रावधान है।

आम बेर,आंवला के दशी वृक्षों को उन्नतशील किस्मों में परिवर्तन हेतु प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों के द्वारा किये गये टॉप वर्किंग कार्य पर (जब शाखा लगभग 2 फीट की हो जावें) राशि रू 10 00 प्रति सफल परिवर्तित वृक्ष परिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है।

2 **नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना–**

नदी कछार/तटों क्षेत्रों में खेती करने वाले बी पी एल एवं लघु/सीमांत कृषकों को लाभान्वित करने की नवीन योजना है। योजनांतर्गत प्रति हितग्राही न्यूनतम 0 25 हे एवं 0 4 हे क्षेत्र हेतु लाभ देने का प्रावधान है। 0 4 हे क्षेत्र के अनुमानित लागत राशि रू 9400/–पर 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू 44700/– अनुदान की पाात्रता होगी।

3 **बी पी एल एवं लघु/सीमांत कृषक बाड़ी में टपक सिंचाई (0 05हे प्रति) –बी पी एल** एवं लघु/सीमांत कृषकों को लाभान्ति करने की नवीन योजना है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जावेंगी। योजनातर्गत प्रति हितग्राही 0 05 हे (500 वर्ग मी) क्षेत्र मे टपक सिंचाई पद्धति प्रतिस्थापन हेतु राशि रू 1800/– की अनुमानित लागत पर 75 प्रतिशत अधिकतम राषि रू 1113500/– अनुदान का प्रावधान है।

4 **राज्य घोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना–** यह योजना राज्य सरकार द्वारा कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2012–13 से राजय के संपूर्ण जिलों में लागू

की गई है। योजनांतर्गत अनुमानित लागत का अनुमानित लागत का लघु एवं सीम कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान एवं बड़े कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने क प्रावधान है। (अधिकतम रकबा 5 00 हेक्टेयर)

राष्ट्रीय बागवानी मिशन– राज्य की जलवायु, भूमि एवं अन्य परिस्थितियां बागवानी दृश्टिकोण से अनुकूल है। बागवानी फसलों की खेती विविधिकरण, उत्पादकता ए रोजगार के बेहतर अवसर की संभावनाओं से परिपूर्ण है। बागानी क्षेत्र के समन्वित विका के लिये वर्ष 2005–06 से 10 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) प्रारंभ की गई है। व f 2010–11 से ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्री बागवानी मिशन में कृषकों को दी जाने वाली अनुदान तथा मानदण्डों को संशोधित क और अधिक लोकप्रिय तथा सुग्राहय बनाया गया है। यह केन्द्रीय शासन द्वारा प्रायोजि योजना है। जिसके अंतर्गत अद्यतन 19 जिलों को शामिल किया गया है।

उद्देश्यः–

1 प्रदेश/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और इसके विविध कृषि मोसम विशषताओं क साथ सामंजस्य रूप में क्षेत्र आधारित स्थानीय विभेदीकृत रणनीति के माध्यम से बागवान क्षेत्र की सर्वागीण वृद्धि ।(समूह संपर्क द्वारा–कलस्टर विधि)

अ बह्वर्षीय फलदार पौधों का रोपण – (आम,लीची,नीबू आदि) –

संभवित कुल लागत रू 40,000 00 –

विवरण – अधिकतम 4 हे क्षेत्र प्रति हितग्राही को कुल लागत पर 75 प्रतिशत **अनुदान अधिकतम– 1 20** लााख

अमरूद, सीताफल – लागत पर 75 प्रतिशत रू 30,000 00 प्रति हे की दर से तीन किस्तों में 60 20 20 यदि जीवित पौधों का प्रतिषत 75 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में तथा 90 प्रतिषत तृतीय वर्ष में रू 1 20 लाख

ब एक वर्षी फलोद्यान केला – रू 83 204 00 प्रति हे – अधिकतम 4 हे क्षेत्र हितग्राही को कुल लागत पर 50 प्रतिशत.अनुदान, अधितम रू 41,6602 00 प्रति हे ।

स उच्च घनत्व वाले पौधे (आम, अमरूद, लीची आदि) – रू 80,000 00 प्रति हे – अधिकतम रू 40,000 00 प्रति हे बागान सामग्री तथा आई एन एम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किये गये व्यय को पूरा करने के लिये लागत का 50 प्रतिषत, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिषत तथा तीसरे वर्श में 90 प्रतिषत की जीवित रहने की दर के अधीन 60 20 20 की 3 किस्तों में – 1 60 लाख प्रति हे

***ii* मशरूम–**

अ समन्वित स्पान, खाद उत्पाद इकाई एवं प्रषिक्षण – रू 50 00लाख प्रति यूनिट – निजी क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत आधारभूत ढांचे पर व्यय के लिए केडिट लिंक बैंक एन्डेड सब्सिडी के रूप – रू 25 00लाख निजी

क्षेत्र हेतु ।

ब स्पान बनाने की यूनिट– रू 15 00 लाख प्रति यूनिट– निजी क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत आधारभूत ढांचे पर व्यय के लिए केडिट लिंक बैंक एन्डेड सब्सिडी के रूप–रू 7 50 लाख निजी क्षेत्र हेतु

स खाद बनाने की यूनिट– रू 20 00 लाख प्रति यूनिट– निजी क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत आधारभूत ढांचे पर व्यय के लिए केडिट लिंक बैंक एन्डेड सब्सिडी के रूप – रू 10 00लाख निजी क्षेत्र हेतु

***iii* पुष्प विकास योजना**

(प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हे क्षेत्र तक)– कट लावर (गुलाब, झरबेरा आदि)

लघु एवं सीमांत कृषक – रू 70,000 00 प्रति हे – कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रू 35000 00 प्रति हे –रू 70,000 00

***ii* अन्य कृषक** रू 70,000 00 प्रति हे – कुल लागत का 33 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रू 23,100 प्रति हे – 46,200 00

***B* बल्ब लावर (ग्लेडियोलस, रजनीगंधा आदि)–**

***i* लघु एवं सीमांत कृषक रू** 90,000 00 प्रति हे – कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रू 45,000 00 प्रति हे – रू 90,000 00

***ii* अन्य कृषक रू** 90,000 00 प्रति हे कुल लागत का 33 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रू 29,700 प्रति हे –रू 59,400

***C* लूज लावर (गेंदा, सेवंती गेलार्डिया आदि)**

***i* लघु एवं सीमांत कृशक रू** 24,000 00 प्रति हे – कुल लागत का 50 प्रतिषत अनुदान, अधिकतम रू 12,000 00 प्रति हे – रू 24,000 00

कुल लागत का 33 प्रतिषत अनुदान, अधिकतम रू 7920 00 प्रति हे –रू 15,840 00

***iv* मसाला विकास योजना (प्रति हितग्राही अधिकतम 4 हे क्षेत्र तक) –** बीज मसाले तथा राइजोमेटिक प्रजातियां जैसे– मिर्च, धनिया, मेथी, अदरक, लहसून एवं हल्दी – रू 25,000 00 प्रति हे – कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रू 12,500 00 प्रति हे – रू 50,000 00

***v* सुगंधित फसलें (प्रति हितग्राही अधिकतम 4 हे क्षेत्र तक)–**

अन्य सुगंधित फसले जैसे– ई सिट्रीडोरा,पामारोजा, खस एवं लेमनग्रास – रू 25,000 00 प्रति हे – कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रू 12,500 00 प्रति हे – रू 50,000 00

***vi* रोपणी फसलें (प्रति हितग्राही अधिकतम 4 हे क्षेत्र तक)–**

काजू (गेप फिलिंग किये जाने सहित) – रू 40,000 00 प्रति हे – कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रू 20,000 00 प्रति हे की दर से तीन किस्तों में 60 20

20 यदि जीवित पौधें का प्रतिशत द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष मे 90 प्रतिशत हो। – रू 80,000 00

2 **पुराने जीर्ण बगीचों का पुनर्जीवीकरण/प्रतिस्थापना** – पुराने बगीचों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये इनपुट, प्रूनिंग एवं ग्राफटिग आदि के द्वारा– रू 30,000 00 प्रति हे – कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 2 हे क्षेत्र तक सीमित – रू 30,000

संरक्षित खेती– i ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर–

(क) फैन एंड पैड सिस्टम – रू 1465 00 प्रति वर्ग मीटर– प्रति हितग्राही 1000 वर्ग मीटर हेतु कुल लागत का 50 प्रतिषत अनुदान प्रति ईकाई – रू 7,325 लाख

(ख) नैचुरल वेंटीलेटैड सिंस्टम

टयूब्यूलर स्ट्रक्चर – रू 935 00 प्रति वर्ग मी – प्रति हितग्राही 1000 वर्ग मीटर तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत – रू 4 675 लाख

लकड़ी का ढांचा – रू 515 00 प्रति वर्ग मी – प्रति हितग्राही 2 इकाईयों तक सीमित, लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (प्रत्येक यूनिट 500 वर्ग मीटर से अधिक की न हो)– रू 2 575 लाख

बांस का ढांचा– रू 375 00 प्रति वर्ग मी – प्रति हितग्राही 5 इकाईयों तक सीमित, लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (प्रत्येक यूनिट 200 वर्ग मीटर से अधिक की न हो) – रू 1 875 लाख

प्लास्टिक मल्चिंग– रू 20,000 00 प्रति हे – प्रति हितग्राही 2 हे तक सीमित, कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान – रू 20,000 00

पप शेडनेट हाउस–टयूब्यूलर स्ट्रक्चर रू 600 प्रति वर्ग मी कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, प्रति हितग्राही 1000 वर्ग मीटर तक रू 3 00 लाख –

लकड़ी का ढांचा – रू 410 प्रति वर्ग मी कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, प्रति हितग्राही 5 इकाईयों तक (प्रति यूनिट 200 वर्ग मी तक सीमित)– रू 2 05 लाख

C. बांस का ढांचा– रू 300 00 प्रति वर्ग मी – कुल लागत का ब, प्रति हितग्राही **5 इकाईयों तक (प्रति यूनिट 200 वर्ग मी तक सीमित)** – रू 1 50 लाख

प्लास्टिक टनल – e. पक्षी/दृष्टि रोधी जाली

रू 30 00 प्रति वर्ग मी – रू 20 00 प्रति वर्ग मी – अधिकतम 1000 वर्ग मी क्षेत्र तक प्रति हितग्राही कुल लागत 50 प्रतिशत अनुदान कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति हितग्राही 5000 वर्ग मी तक सीमित – रू 15000 रू 50000 00

पॉली हाउस में उगाये गये उच्च मूल्य सब्जियों की सामग्री की लागत हे पॉली हाउस

में उगाये गये फूलों की बागान सामग्री की लागत– रू 105 00 प्रति वर्ग मी – रू 500 00 प्रति वर्ग मी कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, प्रति हितग्राही 500 वर्ग मी तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, प्रति हितग्राही 500 वर्ग मी तक सीमित – रू 26250 00 – रू 1 25 लाख

6 आई एन एम /आई पी एम का संर्क्षण–

I आई पी एम का संर्क्षण– रू 2000 00 प्रति हे – अधिकतम 4 हे क्षेत्र प्रति हितग्राही हेतु कुल लागत रू 1000 00 प्रति हे पर 50 प्रतिशत अनुदान – रू 4000 00

II जैव नियंत्रण प्रयोगशाला –

निजी क्षेत्र में – रू 80 00 लाख प्रति इकाई – प्रति हितग्राही केडिट लिंक बैक एन्डेड सब्सिडी के आधार पर 50 प्रतिशत – रू 40 00 लाख

निजी क्षेत्र में – iii पादप स्वास्थ्य क्लीनिक निजी क्षेत्र में –

रू 20 00 लाख प्रति इकाई – प्रति हितग्राही केडिट लिंक बैक एन्डेड सब्सिडी के आधार पर 50 प्रतिशत – रू 10 00 लाख

7 ऑरगोनिक कृषि

पक्का टांका– रू 60,000 00 प्रति इकाई – कुल लागत का 50 प्रतिषत अनुदान 30 x8' x 2 5' आयाम की इकाई के आकार के अनुरूप जिसे प्रो–राटा बेसिस पर प्रसारित किया जाना है। – रू 30,000 00 प्रति इकाई

पोर्टेबल वर्मीबेड (एच डी पी ई वर्मीबेड) – रू 10,000 00 प्रति इकाई – कुल लागत का 50 प्रतिषत अनुदान 12'x 4'x 2 (96 सी एफ टी आकार के अनुरूप जिसे प्रो–राटा बेसिस पर प्रषासित किया जाना है) – रू 5,000 00 प्रति इकाई

8 मधुमक्खी पालन द्वारा परागण सहायता–

क मधुमखी कालोनी – प्रति कालोनी हेतु रू 1400 00– प्रति हितग्राही 50 प्रतिषत अनुदान, 4 फ्रेम वाली प्रति कालोनी 50 कालोनी तक सीमित – रू 35,000 00

ख छत्ते – प्रति छत्ता रू 1600 – प्रति हितग्राही 50 प्रतिषत अनुदान, जो 50 छत्ता तक सीमित – रू 40,000 00

ग **शहद निकालने वाले (4 फेम),फुड ग्रेड कंटेनर (30 किलो) जाली आदि सहित उपकरण** प्रति सेट रू 14000 00– प्रति हितग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 50 प्रतिशत – रू 7000 00

9 उद्यानिकी मशीनीकरण–

क **शक्ति चलित मशीन/उपकरण जिसमें विघुत आरी तथा संयंत्र बचाव उपकरण आदि** शमिल है। – रू 35,0000 00 प्रति सेट– प्रति लाभग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत

का 50 प्रतिशत – रू 17500 00

ख **रोटा वेटर/उपकरण के साथ शक्ति मशीनें (20बी एच पी तक)** – रू 1 20 लाख प्रति सेट –प्रति लाभग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 50 प्रतिशत–रू 60,000 00

10 **बागवानी उत्पाद हेतु विपणन आधारभूत ढांचे की स्थापना–**

टर्मिनल मार्केट– रू 1 50 करोड़ /प्रोजेक्ट– पृथक से जारी प्रचालनात्मक दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रतिसपर्धी बिडिंग के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में 25 [] से 40 प्रतिशत 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत–(लिमिटेड से रू 50 करोड़)सार्वजनिक निजी सहभागिता

थोक बाजार– प्रति परियोजना रू 100 00 करोड़– पृथक उद्यमियो हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 25 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 33 33 प्रतिशत की दर स केडिट लिंक बैंक एन्डेड सब्सिडी वाली आर्थिक सहायता – सामान्य क्षेत्र हेतु रू 25 करोड़ तथा पहाड़ी क्षेत्र हेतु रू 33 33 करोड़

ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी/प्रत्यक्ष बाजार– रू 20 00 लाख प्रति यूनिट– पृथक उद्यमियो हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर स केडिट लिंक बैंक एन्डेड सब्सिडी वाली **आर्थिक सहायता** – सामान्य क्षेत्र हेतु – रू 8 0करोड़ तथा पहाड़ी क्षेत्र हेतु रू 11 00 करोड़

खुदरा बाजार/आउटलेट (पर्यावरणीय नियंत्रित) – रू 10 00 लाख प्रति यूनिट – आर्थिक सहायता सामान्य क्षेत्र हेतु रू 4 0करोड़ तथा पहाड़ी क्षेत्र हेतु –रू 5 50 करोड

बाजार विस्तार गुणवत्ता जागरूकता और नए उत्पादों हेतु बाजार नेतृत्व वाले विस्तार कियाकलाप– प्रति कार्यक्रम रू 3 00 – लाख राज्य सरकार/एस एच एम /सार्वजनिक क्षेत्र को एजेंसियों को शत्प्रतिशत सहायता – रू 3 00 लाख

ऑयल पॉम क्षेत्र विस्तार योजना

केन्द्रीय सहायता से संचालित ऑयल पॉम क्षेत्र विस्तार योजना राज्य के जिले दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, जगदलपुर, कोंडगांव, नारायणपुर, कांकेर रायपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, महासमुंद एवं बालोद में संचालित है।

000000000000

पशुधन विकास विभाग की
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित कृषक कल्याणकारी योजनाएं

1 **आदिवासी कुक्कट पालन योजना** – 15 दिवसीय 100 उन्नत नस्ल के रंगीन चुजों/बत्तख चूजे अथवा 180 बटर चूजें। – अनुसूचित जनजाति वर्ग – रू 1200/–(अनुदान 75 प्रतिशत अंशदान 25 प्रतिशत) – लगभग रू 5000/– प्रति इकाई।

2 **अनुदान पर नर बकरा वितरण** – उन्नत नस्ल का प्रजनन योग्य बकरा – अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग– इकाई का लागत का 90 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान एवं 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान लगभग – रू 5000/– प्रति इकाई।

3 **उन्नत वत्स पालन योजना** – 4 से 24 माह के उन्नत नस्ल के बछिया हेतु संतुलित आहार प्रदाय– सामान्य वर्ग के खेतिहर मजदूर सीमान्त कृषक अनुसूचित जाति एवं जनजाति – इकाई लागत रू 19500/–(सामान्य वर्ग हेतु अनुदान 75 प्रतिशत अंशदान रू 5500/–तथा आ जा /अ ज जा हेतु अनुदान 90 प्रतिशत अंशदान 3000/–)– तीन वर्ष पश्चात् प्रति गाय लगभग 5 लीटर प्रतिदिन दुग्धोत्पादन से अनुमानित आय रू 22500/– प्रतिवर्ष

4 **पशु नस्ल सुधान हेतु सांड वितरण** – नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के सांडो द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान की सुतिधा उपलब्ध कराना। – सभी वर्ग के हितग्राही शतप्रतिशत अनुदान– क्षेत्र में उन्नत नस्ल के उत्पादन योग्य पशुओं का उत्पादन।

5 **ग्रामोत्थान (चारवाहा प्रोत्साहन योजना)** – चरवाहों के माध्यम से नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु चरवाहों को प्रोत्साहन राषि प्रदाय।– पशुधन विकास विभाग क्षरा प्रशिक्षित एवं नामित चरवाहा – रा कृ वि यो अंतर्गत गाय/भैंस को कृत्रिम गर्भाधान करोन हेतु लाने पर एवं अवांछित नाटों के बधियांकरण कराने पर 15 प्रतिशत– क्षेत्र में नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा

6 **प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (स्वरोजगार)** – नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान कार्य में संलग्न कर – स्वरोजगार उपलब्ध कराना। किसी भी वर्ग के हायर सेकेण्डरी पास ग्रामीण युवक/प्रतिशत गौसेवक– अनुमानित रू 30000/– की निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किट तथा नियमित तरल नत्रजन एवं सीमन स्ट्रा की आपूर्ति। कृ ग सुविधा की सुदूर अंचल में जहुंच, उन्नत नस्ल के पशुओं का उत्पादन एवं प्रति उन्नत वत्सोत्पादन पर 850/– रू मानदेय देकर स्वरोजगार प्रदान करना।

0000000000

मछली पालन विभाग की
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित कृषक कल्याणकारी योजनाए
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

कृषि के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देन के लिये केन्द्र शासन द्वारा यह योजना प्रारंभ की है इसके अंतर्गत कियान्वित योजना–

1 **संतुलित एवं परिपूरक आहार–** इस योजना के अंतर्गत मत्स्य कृषकों को रूप्ये 10 हजार प्रति हितग्रही अनुदान सहायता दी जाती है।

2 **जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचयन–** इसके लिये 50 50 के अंश में शासकीय अुनदान दिया जाता है।

3 **मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन–** इस हेतु रूपये 40 हजार की सहायता कितग्राही को दी जाती है। (रूपये 10 हजार हिग्राही का अंशदान)

4 तालाबों में अंगुलिका संचन कार्यकम– तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये मत्स्य बीज फाई के स्थान पर अंगुलिका संचयन के लिये रू 4 हजार प्रति हेक्टेयर (रू एक हजार कृषक द्वारा व्यय) सहायता दी जाती है।

5 **मत्स्य बीज संवर्धन जलक्षेत्र का निर्माण –** आधा हेक्टेयर जलक्षेत्र के पोखर का निर्माण कर मस्स्य बीज संवर्धन के लिये अधिकतम रूप्ये 3 50 लाख सहायत दी जाती है।

6 **नदी हेतु नाव–जाल सहायता–** नदियों में मत्स्याखेट करने के लिये मछुआरो को

रूपये 40 हजार की सहायता (कृशक अंशदान रूप्ये 10 हजार) दी जाती है।

7 **अध्ययन भ्रमण –** मस्थ्य पालकों को आधुनिक तकनिकी ज्ञान के लिये राजय के बाहर अध्ययन भ्रमण–हेतु रूप्ये 3600 प्रति हितग्रही की सहायता का प्रावधा8 है।

8 **मत्स्याखेट के लिये नाव–**जाल उपकरण सहायता– दीर्ध अवधि पट्टाधारक को रूपये एक लाख की सहाचयता दी जाती है।

9 **प्रदर्शन इकाई स्थापना–** तालाबों में मत्स्य उत्पादकता प्रदर्शन हेतु इकाई स्थाना

के लिये रू एक लाख अ़ड़तालिस हजार (रूपये 1 11 लाख शासकीय सहायता एवं रूपये 0 37 लाख हितग्राही अंशसदान)दी जाती है।

0 **कोल्ड चैन की स्थापना–** मत्स्याखेट के बाद मछलियों को ताजा रखकर बाह पहुंचाने एवं हितग्रही को उचित मुल्य दिलवाने के उददेष्य से कोल्ड चेन की

स्थाना (फ्रीजर,आईस बाक्स) हेतु रूप्ये 5 लाख की सहायता दी जाती है।

1 **पंगेसियस कल्चर–** कम समय में अधिक वृद्धि वाल पंगेसियस कल्चर इकाई स्थापना हेतु रू 6 55 लाख की सहायता दी जाती है।

2 **फुटकर मछली विकय–** दस योजना के अंतर्गत तराजू,बाट,कटर,चॉपर एवं आईसबाक्स कय हेतु रू 6 हजार (रू 1 5 हजार हितग्रही अंशदान)की सहायता दी जाती है।

3 **विस्तार सेवाओं का विकास–** मछुआरों को मत्स्य पालन संबंधित जानकारी के लिये जिला/राज्य स्तर पर सेमीनार आयोजित किये जाते है।

राज्य पोषित योजनाएँ

1 **शिक्षण–प्रशिक्षण–** मत्स्य पालन की विविध जानकारी के लिये 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रति प्रशिक्षणार्थी रूपये 1250 व्यय स्वीकृत है।

2 **मछुआरों का अध्ययन भ्रमण–** प्रंगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर नवीन तकनीकी के अध्ययन हेतु 10 दिवसीय भ्रमण पर भेजा जाता है जिसमें प्रति प्रशिक्षणार्थी रूपये 2500 व्यय का प्रावधान है।

3 **पंजीकृत सहकारी समितियों को अनुदान–**पंजीकृत मत्स्य सहाकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये अनुदान छ ग मछुआ सह समिति ऋण/अनुदान नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है।

4 **नाव–जाल अथवा जाल कय हेतु सहायता–**राज्य में अनुसूचित जन जातियों के हितग्राहियों को रूपये 7 हजार का जाल रूपये 3 हाजर की नाव अथवा रूपयें 10 हजार के जाल प्रदाय किये जाते है।

5 **नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मत्स्य बीज संचय–**योजना क्षेत्र दंतेवाड़ा–बीजापुर शत्–प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य बीज संचय किया जाता हैं। इससे स्थानीय निवासियों को निःशुल्क पौष्टिक योजना प्राप्त होता है।

6 **फुटकर मछली विकय हेतु उपकरण–** मछुआरों को इस हेतु रूपये 6 हजार की सहायता आइस बाक्स,तराजू–बाट एवं उपकरण कय हेतु दी जाती है।

7 मौसमी तालाबों में स्पॉन संवर्धन हेतु सहायता–अनुसूचित जाति/जनजाति हितग्रहियों को आधा हैक्टेयर के मौसमी तालाबों में स्पॉन संवर्धन के लिये रूपये 30 हजार की सहाायता दी जाती है।

8 **झींगा सहा मछलीं पालन–**झींगा के लिये हितग्रही को तीन वर्ष में कुल रूपये 15 हजार की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना–प्रदेश में यह योजना पूर्व के सात जिला अनुसार कियान्वित है जिसमें निम्न घटकों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है:–

1 **स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माणः–** तालाब निर्माण के लिए रूपये तीन लाख प्रति हेकटर बैंक ऋण की व्यवस्था है। जिस पर अनुसूचित जाति/अनजाति के हिग्रहियों को 25 प्रतिशत या रूपये 75 हजार एवं शेष किसानों को 30 प्रतिशित या रूपये 60 हजार की अधिकतम सीमा से रोज सहायता दी जाती है।

2 **तलाबों/टैंकों का पुनरूद्धार–**इस हेतु रूपये 75 हजार प्रति हैक्टर की सीमा में ऋण एवं अनुसूचित जाति के मछुआरो को 25 प्रतिशत या रूपये 18 हजार 750 एवं अन्य वर्ग के मछुआरों को 20 प्रतिशत या रूपये 15 हजार मात्र की सहायता दी जाती है।

मछली बीज, आहार, दवा, आदि हेतु सहायता–इस हेतु रूपये 50 हजार का ऋण दिया जाता है कृषक को 20 प्रतिशत या रू 10 हजार एवं अनुसूचित जाति/जनजाति को 25 प्रतिशत या रू 12500 की सहायता की जाती है।

राष्ट्रीय मछुआ कल्याण कार्यक्रम

1 **बचत सह राहतः–** बसंत ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार वंचित मछुआरों को तीन माह तक रूपये 600 प्रति माह की सहायता दी जाती है। योजना में हितग्राही से 9 माह अंशदान से रूपये 600 एवं केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50:50 में रू 1200 कुल 1800 रूपये बैंक में जमाकर हितग्राही सहायता दी जाती है।

2 **मछुआरों का दुर्घटना बीमा–** मछली पालन का कार्य करने वाले 18–70 वर्ष मत्स्य जीवियों का शत्प्रतिशत अनुदान पर दुर्घटना बीमा कियाजाता है। दुर्घटना मृत्यु/स्थाई विकलांगता होने पर रूपये 1 लाख एवं अस्थाई अपंगंता पर रूपये 50 ह की सहायता दी जाती है।

3 **मछुवा आवास योजना–**जलाशयों के समीप मछुवा आवास हेतु रूप्ये 99 60 की इकाई योजना(50:50)अंतर्गत आवास, नलकूप, सामुदायिक भवन का नि किया जाता है।

नेशनल मिशन फार प्रोटीन सप्लीमेन्ट

(अ) **सघन मत्स्य पालन–** नवीन तालाब निर्माण/इनपुट हेतु रूप्ये 4 00 लाख/ ऋण एवं 40प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

(ब) **केज कल्चर–** जलाशयों में प्रति केज 6 से 10 मे टन मत्योत्पादन हेतु इ रूपये 354 लाख की सहयता दी जाती है।

राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं

1 **जलाशयों में 100 मिलीमीटर की अंगुलिका संचयन हेतु सहायता** –जलाशयों में निर्धारित दर अनुसार मत्स्य बीज संचयन के लिये एक बार सहायता दी जाती है।

2 **नवीन तालाब निर्माण एवं मछली पालन पर प्रथम वर्ष इनपुट्स हेतु अनुदान (पंगेसियस सूची मछली)–**

तालाब निर्माण की इकाई लागत 3 00 लाख प्रति हेक्टर पर 20 प्रतिशत (रू 60 हजार) एवं प्रथम वर्ष इनपुट्स(मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहर) की इकाई लागत का 40 प्रतिशत (रू 2 लाख) अनुदान सभी जाति के हितग्राहियों को दिया जाता है। अधिकतम सीमा 5 00 हेक्टर । इसके अतिरिक्त अस्तित्व मान तालाबों के पुनरूद्धार पर प्रति हेक्टर रूपये 75 हजार इकाई लागत प्रति हेक्टर के मान से 20 प्रतिशत् (रू 15 हजार) अनुदान भी दिया जाता है।

000000000000

पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग
(छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय)
गाय पालन हेतु प्रोजेक्ट

राशि रू में

क्र	विवरण		
1	प्रारंभिक अनुमानित लागत– (इकाई 5 दुधारू गाय/भैंस/संकर नस्लें)		
(अ)	दुधारू गाय संख्या 05 दर रू 50,000 प्रति पशु		2,50,000
(ब)	शेड निर्माण में लागत		5,00,000
(स)	डेयरी उपकरण क्रय		1,00,000
योग			**8,50,000**
2	वित्तीय योजना		
(अ)	बैंक लोन राशि 80 प्रतिशत		6,80,000
(ब)	मार्जिन राशि 20 प्रतिशत		17,000
कुल राशि योग			**8,50,000**
3	अनुमानित व्यय (अ) अनावर्ती व्यय– (प्रतिवर्ष)		
1	शेड में टूट फूट से हानि / 5 :		25,000
2	डेयरी उपकरण में टूट फूट से हानि /10 :		10,000
3	बैंक लोन पर दर (EMI) / 10 : प्रतिवर्ष		68,000
4	दुधारू पशु के बीमा की दर / 4 : प्रतिवर्ष		10,000
कुल अनावर्ती व्यय (1+2+3+4)			**1,13,000**
(ब) आवर्ती व्यय– (प्रतिवर्ष)	1 पशु आहार		
(क)	हरा चारे का मुल्य / 20 किलो/पशु/दिन		35,000
(ख)	सूखा चारे का मूल्य 4 किलो/पशु/दिन		20,000
(ग)	सांद्र आहार दाना मिश्रण 4 किलो/पशु/दिन		1,25,000
2	श्रमिक व्यय / 200 रू /दिन		70,000
3	पशु औषधि व टीकाकरण व्यय		5,000
4	विविध		10,000
कुल आवर्ती व्यय (1+2+3+4)			**2,65,000**
4	कुल व्यय (अनावर्ती + आवर्ती व्यय)		**3,78,000**
5	कुल आय (प्रतिवर्ष)		–
1	दूध का विक्रय / 10 किलो/गाय/दिन / रू 35 प्रति ली		5,25,000

2	गोबर खाद का विक्रय रू 5000 प्रति ट्राली		25,000
3	गनी बैग विक्रय रू 5/बैग		15,000
4	पशु मूल्य में वृद्धि दर रू 5000/पशु		25,000
कुल आय (1+2+3+4)			**5,90,000**
6	सकल आय रू प्रतिवर्ष (कुल आय – कुल व्यय)		2,12,000
7	सकल आय रू प्रतिमाह		17,667

पंचवर्षीय आय–व्यय का विवरण

विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
कुल लागत	8,50,000	–	–	–	–
कुल व्यय	3,78,000	7,56,000	11,34,000	15,12,000	18,90,000
कुल आय	5,90,000	11,80,000	17,70,000	23,60,000	29,50,000
सकल आय प्रतिवर्ष	2,12,000	4,24,000	6,36,000	8,48,000	10,60,000
सकल आय प्रतिमाह	17667	35,333	53,000	70,666	88,333

0000

बकरी पालन हेतु प्रोजेक्ट

क्र	विवरण	राशि (रू)	
01	**प्रारंभिक अनुमानित लागत– (इकाई 10 बकरी तथा 1 बकरा)**		
(अ)	बकरी संख्या 11 दर रू 5000 रू प्रति बकरी	55,000	
(ब)	शेड निर्माण में लागत	50,000	
(स)	बकरी घर हेतु उपकरण क्रय	5,000	
	योग	1,10,000	
2	**वित्तीय योजना**		
(अ)	बैंक लोन राशि 80 प्रतिशत	88,000	
(ब)	मार्जिन राशि 20 प्रतिशत	22,000	
	कुल राशि योग	1,10,000	
3	**अनुमानित व्यय**		
(अ)	अनावर्ती व्यय– (प्रतिवर्ष)		
1	शेड में टूट फूट से हानि / 5 प्रतिशत	250	
2	बकरी गृह उपकरण में टूट फूट से हानि 10 प्रतिशत	5,00	
3	बैंक लोन पर दर / 10 प्रतिशत	8,800	
4	बकरी के बीमा की दर / 4 प्रतिशत	2,200	
	कुल अनावर्ती व्यय (1+2+3+4)	11,750	
(ब)	आवर्ती व्यय– (प्रतिवर्ष)		
1	बकरी आहार		
(क)	सूखा चारा 2 किलो प्रतिदिन	5,000	
(ख)	सांद्र दाना मिश्रण 0 5 किलो/बकरी/दिन	10,000	
(ग)	मेमनो 20 संख्या/0 3 किलो/दिन	20000	
		10,000	
2	श्रमिक व्यय	3,000	
3	पशु औषधि व टीकाकरण व्यय	2,000	
4	विविध	50,000	
	कुल आवर्ती व्यय (1+2+3+4)	61,750	
4	कुल व्यय (अनावर्ती + आवर्ती व्यय)		

5	**कुल आय (प्रतिवर्ष)**		
1	20 बकरियेा के विक्रय से आय	1,00,000	
2	खाद का विक्रय रू 5000 प्रति ट्राली	10,000	
3	गनी बैग विक्रय रू 5/बैग	5,000	
	कुल आय (1+2+3)	1,15,000	
6	सकल आय रू प्रतिवर्ष (कुल आय – कुल व्यय)	53,250	
7	सकल आय रू प्रतिमाह	4437	

पंचवर्षीय आय–व्यय का विवरण

विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
कुल लागत	1,10,000	–	–	–	–
कुल व्यय	61,750	1,23,500	1,85,250	2,47,000	3,08,750
कुल आय	1,15,000	2,30,000	3,45,000	4,60,000	5,75,000
सकल आय प्रतिवर्ष	53,250	1,06,500	1,59,750	2,13,000	2,66,250
सकल आय प्रतिमाह	4,437	8,875	13,312	17,750	22,187

ब्रायलर कुकुक्ट पालन हेतु प्रोजेक्ट

क्र	विवरण	राशि रू में	
01	**प्रारंभिक अनुमानित लागत– (इकाई 100 ब्रायलर कुक्कुट)**		
(अ)	ब्रायलर कुक्कुट संख्या 100 दर रू 20 रू प्रति चूजा (10 बैच प्रतिवर्ष)	20,000	
(ब)	शेड निर्माण में लागत		20,000
(स)	कुक्कुट घर हेतु उपकरण क्रय	5,000	
	योग	45,000	
2	**वित्तीय योजना**		
(अ)	बैंक लोन राशि 80 प्रतिशत	36,000	
(ब)	मार्जिन राशि 20 प्रतिशत	9,000	
	कुल राशि योग	45,000	

3 अनुमानित व्यय

(अ) अनावर्ती व्यय– (प्रतिवर्ष)

1	शेड में टूट फूट से हानि / 5 प्रतिशत	100
2	ब्रायलर कुक्कुट घर उपकरण में टूट फूट से हानि 10 प्रतिशत	5,00
3	बैंक लोन पर दर / 10 प्रतिशत	3,600
4	ब्रायलर के बीमा की दर / 2 रू प्रति ब्रायलर	2,000

कुल अनावर्ती व्यय (1+2+3+4)

(ब) आवर्ती व्यय– (प्रतिवर्ष)

1	ब्रायलर कुक्कुट आहार / 2 किलो/ब्रायलर	6,200
2	श्रमिक व्यय	50,000
3	कुक्कुट औषधि व टीकाकरण व्यय	5,000
4	विविध	3,000
	कुल आवर्ती व्यय (1+2+3+4)	2,200

4	कुल व्यय (अनावर्ती + आवर्ती व्यय)	66,20

5	कुल आय (प्रतिवर्ष)	
1	1000 ब्रायलर के विक्रय से आय	1,00,0
2	खाद का विक्रय रू 5000 प्रति ट्राली	10,00
3	गनी बैग विक्रय रू 5/बैग	5,00
	कुल आय (1+2+3)	1,15,

6	सकल आय रू प्रतिवर्ष (कुल आय – कुल व्यय)	48,8
7	सकल आय रू प्रतिमाह	406

पंचवर्षीय आय–व्यय का विवरण

विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
कुल लागत	45,000	–	–	–	–
कुल व्यय	66,200	71,200	76,200	81,200	86,200
कुल आय	1,15,000	1,22,000	1,29,000	1,36,000	1,43,000
सकल आय प्रतिवर्ष	48,800	50,800	52,800	54,800	56,800
सकल आय प्रतिमाह	4,066	4233	4400	4566	4733

0000000000000

!! कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्य !!

- अ कृषको, कृषक – महिलाओं व ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण एवं भ्रमण का आयोजन करना ।
- अ कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन एवं छत्तीसगढ़ शासन के कृषि से संबंधित अन्य विभागों के साथ–साथ बैंकों, गैर शासकीय संस्थान के सेवारत कर्मचारियों व अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन आयोजन करना !
- अ विभिन्न फसलों (तिहलन व दलहन के अतिरिक्त) के अग्रमि पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन करना ।
- अ दलहनी व तिलहनी फसलों पर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन आयोजित करना ।
- अ प्रक्षेत्र दिवस, किसान मेला, किसान गोषठी, कृषि – साहित्य वितरण द्वारा तकनीकी प्रसारण करना ।
- अ क्षेत्र की समस्याओं के निदान हेतु कृषकों के खेतों पर उन्नत तकनीकी के प्रक्षेत्र परिक्षणों का कियान्वयन ।
- अ मैदानी एवं उद्यानिकी फसलों के साथ – साथ अन्य फसलों, खाद्य पदार्थो के प्रसंस्करण एवं परिरक्षण, पशुपालन एवं कृषि प्रबंधन की समस्त जानकारियों
- / समस्याओं के संबंध में कृषि विज्ञान दुर्ग के दूरभाष कमांक

0788–2623461,3292046 पर संपर्क करें ।